

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24/06/2020

फा0क0 2569,2382/21-ब(दो), राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3361/21-ब(दो) दिनांक 27/06/2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल म0प्र0 के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री सत्यम अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 27/04/2020 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रूपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)


सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
भोपाल, दिनांक 24/06/2020

पृ0क्रमांक 2569,2382/21-ब(दो),

प्रतिलिपि:-


1. महाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर
 2. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर
 3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर नस्ती यू0ओ0कं0 39/2020/1-10 दिनांक 04.06.2020 के संदर्भ में, आदेश की प्रति संलग्न कर, नस्ती मूलतः वापस लौटाई जाती हैं।
 4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 5. महानिर्देशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन कार्यालय, भोपाल म0प्र0
 6. श्री सत्यम अग्रवाल, अधिवक्ता, निवास-118, शंकरसनराइस, चौथा ब्रिज, नेपीयर टाउन, जबलपुर,
 7. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, समाधान भवन, भोपाल,
 8. निजी सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
 9. अतिरिक्त सचिव, आपराधिक शाखा/याचिका शाखा,
 10. आई.टी. शाखा, विधि की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 11. उप नियंत्रक, शासकीय, केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज रोड, भोपाल की ओर राजपत्र के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।




(संतोष प्रसाद शुक्ला)

अति0 सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,




6.7.20